भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 724

(07 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

स्मार्ट गांव

724. श्री सुधीर गुप्ता:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री बिद्युत बरन महतो:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का स्मार्ट सिटी परियोजना की तर्ज पर ग्रामीण गांवों को स्मार्ट गांवों के रूप में विकसित करने के लिए कोई कदम उठाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा गांवों को स्मार्ट गांवों में विकसित करने के लिए क्या रूपरेखा परिकल्पित की गई है;

(ग) सरकार द्वारा बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच घोर अंतर/असमानताओं को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई पहल की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार का सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्मार्ट गांवों के लिए कोई नीति बनाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजनार्थ गांवों के चयन/पहचान के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख): वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास स्मार्ट गांवों के संबंध में नीति तैयार करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (एस.पी.एम.आर.एम.) के अंतर्गत, केंद्रीय प्रायोजित, केंद्रीय क्षेत्र तथा समर्पित अनिवार्य पूरक निधि (सी.जी.एफ.) द्वारा प्रोत्साहित राज्य योजनाओं के अंतर्गत निधियों और संसाधनों के तालमेल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न आधुनिक सुविधाएं सृजित की जा रही हैं। पूरे देश में रुर्बन क्लस्टरों में एस.पी.एम.आर.एम. के 21 घटकों के अंतर्गत सृजित कुछ महत्वपूर्ण आधुनिक सुविधाओं में स्मार्ट क्लासरुम बनाना, वाई-फाई हॉट-स्पॉट, नागरिक सेवा केंद्र, ठोस और तरल अपशिष्ट उपचार संयत्र, सोलर वॉटर पम्प, वॉटर एटीएम लगाना, ई-रिक्शा, डिजिटल लाइब्रेरी इत्यादि शामिल हैं।

(ग) और (घ): सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की सुलभता को बेहतर बनाने के लिए किए गए उपायों तथा ग्रामीण लोगों की सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई पहलों में विभिन्न मंत्रालयों अर्थात ग्रामीण विकास मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग तथा अन्य मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र और केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों/योजनाओं/मिशन/अभियानों का कार्यान्वयन शामिल है।

किए जा रहे विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों/योजनाओं/मिशन/अभियानों में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत गांव की सड़कों का निर्माण (ग्रामीण सड़क संपर्क), प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पी.एम.ए.वाई.-जी) के अंतर्गत पक्के मकानों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना, जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को वर्ष 2024 तक नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत पूरे देश में गांवों का विद्युतीकरण, प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी परिवारों को अंतिम छोर तक सड़क संपर्क और बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना इत्यादि शामिल है। पिछले तीन वर्षों के दौरान शुरू किए गए कार्यकलापों और हासिल उपलब्धियों का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण-शहरी अंतर को दूर करने के उद्देश्य से स्थानीय आर्थिक विकास को गति देकर, मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि करके तथा सुनियोजित रुर्बन क्लस्टर तैयार करके भारत सरकार द्वारा 21 फरवरी, 2016 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (एस.पी.एम.आर.एम.) शुरू किया गया था। यह मिशन मूल रूप से गांवों का ऐसा क्लस्टर विकसित करने के लिए है जो ग्रामीण समुदाय के जीवन के मूल तत्व को संरक्षित और पोषित करता हो और जिसमें मूल रूप

से शहरी मानी जाने वाली सुविधाओं के साथ समझौता किए बिना समता और समावेशिता तथा रुर्बन गांवों का क्लस्टर तैयार करने पर विशेष बल दिया जाता हो। इस मिशन की उपलब्धि **अनुबंध-।।** में दी गई है।

(ड.) और (च): सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ स्मार्ट विलेज बनाने की नीति तैयार करने से संबंधित कोई प्रस्ताव फिलहाल ग्रामीण विकास मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 07.02.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 724 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

(क) प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पी.एम.ए.वाई.-जी)

प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पी.एम.ए.वाई.-जी) 01 अप्रैल, 2016 से कार्यान्वित की जा रही है, जिसका अगस्त **''सभी के लिए आवास''** के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ पक्के मकानों के निर्माण के लिए पात्र परिवारों को सहायता प्रदान करना है। पी.एम.ए.वाई.-जी के अंतर्गत मकान निर्माण के लिए लाभार्थियों को मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपए और दुर्गम क्षेत्रों, आईएपी जिलों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपए की इकाई सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, लाभार्थियों को शौचालय निर्माण के लिए एस.बी.एम.-जी., मनरेगा योजना अथवा वित्तपोषण के किसी अन्य समर्पित स्रोत के माध्यम से 12,000 रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। लाभार्थियों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा विद्युत मंत्रालय की योजना के साथ तालमेल के माध्यम से एल.पी.जी. और बिजली कनेक्शन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। पी.एम.ए.वाई.-जी के तहत लाभार्थियों को कुल 2.83 करोड़ आवास स्वीकृत किए गए हैं और दिनांक 02.02.2023 तक 2.15 करोड़ आवास पूरे हो चुके हैं।

(ख) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-I (पी.एम.जी.एस.वाई.-I) भारत सरकार द्वारा 25 दिसंबर, 2000 को शुरू किया गया एकबारगी विशेष कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कोर नेटवर्क के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500 व्यक्तियों की आबादी वाली सड़क संपर्क विहीन पात्र बस्तियों को बारहमासी सड़क संपर्क मुहैया कराना है। विशेष श्रेणी वाले राज्यों (अर्थात अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तराखंड), मरूभूमि क्षेत्रों (मरूभूमि विकास कार्यक्रम में यथानिर्धारित), जनजातीय क्षेत्रों (अनुसूची-V) और चुनिंदा जनजातीय और पिछड़े जिलों (गृह मंत्रालय तथा योजना आयोग द्वारा यथानिर्धारित) में इसका उद्देश्य 250 व्यक्तियों और उससे अधिक की आबादी (2001 की जनगणना के अनुसार) वाली सड़कों से न जुड़ी पात्र बस्तियों को सड़कों से जोड़ना है। गृह मंत्रालय द्वारा यथानिर्धारित सर्वाधिक गहन समेकित कार्य योजना (आई.ए.पी.) ब्लॉकों के लिए 100 और उससे अधिक (2001 की जनगणना के अनुसार) की आबादी वाली सड़क संपर्क विहीन बस्तियां पी.एम.जी.एस.वाई के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए पात्र हैं।

जैसे-जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा, न केवल परिवहन सेवाओं के प्रदाता के रूप में, बल्कि, सामाजिक और आर्थिक विकास के साधन के रूप में भी मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क की कार्यक्षमता में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। तदनुसार, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रं में 50,000 किलोमीटर का उन्नयन करने के अगस्त साथ चयनित थ्रू-रूटों और प्रमुख ग्रामीण संपर्क सड़कों (एम.आर.एल.) का उन्नयन करने के लिए वर्ष 2013 में पी.एम.जी.एस.वाई-।। की शुरूआत की गई थी।

तदुपरांत, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण/उन्नयन करने के लिए वर्ष 2016 में पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत एक अलग घटक के रूप में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क सपंर्क परियोजना (आर.सी.पी.एल.डब्लू.ई.ए.) की शुरूआत की गई थी।

संघ सरकार ने वर्ष 2019 में पी.एम.जी.एस.वाई.-।।। को अनुमोदित किया था, जिसमें मुख्य रूप से बस्तियों को अन्य के साथ-साथ ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्चत्तर माध्यमिक स्कूलों और अस्पतालों से जोड़ने वाले मौजूदा थ्रू-रूटों और मुख्य ग्रामीण संपर्क सड़कों के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

योजना की शुरूआत से 02 फरवरी, 2023 तक 3,62,314 करोड़ रुपए के परियोजना मूल्य के साथ 8,04,316 कि.मी. लंबी सड़क स्वीकृत की गई है तथा 2,93,683 करोड़ रुपए (राज्य अंश सहित) के व्यय से 7,25,579 कि.मी. लंबी सड़क बनाई जा चुकी है। इसके अलावा, योजना की शुरूआत से 02.02.2023 तक 250 से अधिक आबादी की श्रेणी में आने वाली 1,57,282 बस्तियों को सड़क संपर्क उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई है जिसमें से 1,56,387 बस्तियों को सड़क संपर्क उपलब्ध करा दिया गया है। 100-249, आबादी की श्रेणी में 6,253 बस्तियों के लिए स्वीकृति दी गई है जिसमें से 6,011 बस्तियों को सड़क संपर्क उपलब्ध करा दिया गया है, इसमें वे बस्तियां शामिल नहीं हैं जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा अपने कार्यक्रमों के तहत सड़क से पहले ही जोड़ दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत वास्तविक उपलब्धियां और रिलीज की गई निधि तथा किया गया व्यय निम्नानुसार है:

पिछले तीन वर्षों और दिनांक 02 फरवरी, 2023 की स्थिति के अनुसार वर्तमान वर्ष के दौरान पी.एम.जी.एस.वाई की वास्तविक उपलब्धियां:

वर्ष	**स्वीकृत लंबाई (कि.मी. में)**	**निर्मित लंबाई (कि.मी. में)**
2019-20	27,676.236	27,304.586
2020-21	44,172.211	36,674.484
2021-22	28,148.72	41,973.78

2022-23 (दिनांक 02.02.2023 की स्थिति के अनुसार)	16,505.96	20,895.99

पिछले तीन वर्षों और दिनांक 02 फरवरी, 2023 की स्थिति के अनुसार वर्तमान वर्ष के दौरान पी.एम.जी.एस.वाई. की वित्तीय उपलब्धियां:

वर्ष	**रिलीज (रु. करोड़ में)**	**राज्य अंश सहित व्यय (रु. करोड़ में)**
2019-20	13995.87	21723.92
2020-21	13651.46	23935.01
2021-22	13,952.99	27,833.71
2022-23 (दिनांक 02.02.2023 की स्थिति के अनुसार)	13,927.86	18,458.80

(ग) जल जीवन मिशन (जे.जे.एम.) –

भारत सरकार राज्यों के साथ भागीदारी करके पूर्ववर्ती राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) को शामिल करते हुए 3.60 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय के साथ अगस्त, 2019 से जल जीवन मिशन (जे.जे.एम.) कार्यान्वित कर रही है जिसका अगस्त सार्वभौमिक कवरेज और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों सहित देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष 2024 तक नल द्वारा स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराना है।

इसके अलावा, इस मिशन के अंतर्गत ग्राम पंचायत और/अथवा इसकी उप-समिति/उपयोग करने वाला समूह अर्थात ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वी.डब्ल्यू.एस.सी.)/पानी समिति को जलापूर्ति अवसंरचना सृजित करने और उसके बाद गांव में स्थित जलापूर्ति प्रणाली का रखरखाव करने का अधिकार दिया है और तदनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल मानव संसाधनों अर्थात राजमिस्त्रियों, नल मिस्त्रियों, फीटरों, इलेक्ट्रिशियनों, मोटर मैकेनिकों, पम्प ऑपरेटरों इत्यादि की भारी आवश्यकता है जिसके लिए गांव में रहने वाले लोगों का कौशल बढ़ाने के कार्य को भी इस मिशन के अंतर्गत बढ़ावा दिया जा रहा है।

दिनांक 02 फरवरी 2023 तक, कुल 19.36 करोड़ में से 11.07 करोड़ (57.16%) ग्रामीण परिवारों को नल से जल की आपूर्ति की जा रही है। इस प्रकार 15 अगस्त, 2019 तक 3.23 करोड़ (16.7%) परिवारों की तुलना में अब इसके अतिरिक्त 7.83 करोड़ परिवारों को नल से जल की आपूर्ति की जा रही है।

(घ) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एस.बी.एम. (जी)] –

दिनांक 02 अक्टूबर, 2014 से लागू स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एस.बी.एम. (जी)] का मुख्य उद्देश्य सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराकर 02 अक्टूबर, 2019 तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त (ओ.डी.एफ.) बनाना है। चूंकि स्वच्छता राज्य का विषय है, इसलिए यह राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। भारत सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। एस.बी.एम. (जी) के ऑनलाइन एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आई.एम.आई.एस.) में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 02 अक्टूबर, 2014 से अब तक 10.8 करोड़ निजी पारिवारिक शौचालयों (आई.एच.एच.एल.) का निर्माण किया जा चुका है। सभी गांवों ने 02 अक्टूबर, 2019 तक अपने आपको खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया। खुले में शौच से मुक्त के अगस्त को प्राप्त करने के बाद अब एस.बी.एम. (जी) के चरण-।। का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसका अगस्त सभी गांवों को वर्ष 2024-25 तक खुले में शौच से मुक्त से खुले में शौच से मुक्त प्लस अर्थात उनकी खुले में शौच से मुक्त की स्थिति को बनाए रखने तथा ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था बनानी है।

(ड.) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डी.डी.यू.जी.जे.वाई.)

भारत सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डी.डी.यू.जी.जे.वाई.) की शुरूआत दिसंबर, 2014 में की थी जिसका उद्देश्य पूरे देश में कृषि और गैर-कृषि फीडरों का प्रचालन, सब-ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इन्फ्रास्ट्रीक्चर को मजबूत बनाना और उसका विस्तार करना, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉमरों/फीडरों/कंज्युमरों के यहां मीटर लगाना तथा गांवों का विद्यतीकरण करना है। सभी राज्यों ने 28 अप्रैल, 2018 को डी.डी.यू.जी.जे.वाई के तहत सभी गांवों के विद्युतीकरण की घोषणा की थी। इस योजना के तहत कार्य पूरा हो गया है और यह योजना दिनांक 31.03.2022 को बंद हो गई है।

(च) प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) -

भारत सरकार ने प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य की शुरूआत अक्तूबर, 2018 में की थी जिसका उद्देश्य पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी परिवार जिनके पास बिजली का कनेक्शन नहीं है और शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध

कराते हुए सार्वभौमिक पारिवारिक विद्युतीकरण के अगस्त को हासिल करना है। दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार राज्यों ने सौभाग्य योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित (एल.डब्ल्यू.ई.) क्षेत्रों में 18,734 परिवारों को छोड़कर सभी को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने की सूचना दी है। इसके पश्चात, 07 राज्यों अर्थात असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने दिनांक 31.03.2019 से पहले पहचान किए गए लगभग 19.09 लाख बिजली कनेक्शन रहित परिवारों की सूचना दी थी जो पहले बिजली का कनेक्शन लेने के इच्छुक नहीं थे लेकिन बाद में उन्होंने इसकी इच्छा जताई है। इसकी स्वीकृति भी दे दी गई थी। इन सभी 07 राज्यों ने दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार 100 प्रतिशत परिवारों को बिजली का कनेक्शन प्रदान करने की सूचना दी थी सौभाग्य योजना की शुरूआत से दिनांक 31.03.2021 तक कुल 2.817 करोड़ परिवारों को बिजली का कनेक्शन प्रदान किए गए थे। इसके पश्चात कुछ राज्यों ने 11.84 लाख परिवारों को बिजली का कनेक्शन प्रदान करना शेष रहने की सूचना दी थी, जिसकी तुलना में राज्यों ने 4.43 लाख परिवारों को बिजली का कनेक्शन प्रदान करने की सूचना दी है। सौभाग्य योजना के तत्वावधान में कुल 2.86 परिवारों को दो खेपों में बिजली के कनेक्शन प्रदान किए गए थे इसमें वे परिवार भी शामिल हैं जो पहले बिजली का कनेक्शन लेने के इच्छुक नहीं थे किंतु बाद में उन्होंने इच्छा जताई थी। यह योजना दिनांक 31.03.2022 को बंद हो गई है।

अनुबंध-।।

लोक सभा में दिनांक 07.02.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 724 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (एस.पी.एम.आर.एम.) की शुरुआत 21 फरवरी, 2016 को की गई थी जिसका उद्देश्य विकास की दहलीज पर खड़े ग्रामीण क्षेत्रों को उत्प्रेरक कार्यकलाप उपलब्ध कराना है। इस मिशन में आर्थिक, सामाजिक, बुनियादी और डिजीटल सुविधाएं उपलब्ध कराकर चयनित ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और वास्तविक रूप से दीर्घकालिक क्षेत्र बनाने का प्रयास किया जाता है ताकि देश में स्थायी और संतुलित विकास किया जा सके। इस अभिनव मिशन के अंतर्गत पूरे देश में विषयपरक आर्थिक विकास केंद्रों वाले 300 रुर्बन कलस्टरों का विकास किया जा रहा है।

इस मिशन में कलस्टरों के समग्र विकास तथा विकास का उच्चतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए 21 वांछनीय घटकों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जो निम्नानुसार हैं :

1. पाइप लाइन से जलापूर्ति
2. स्वच्छता
3. ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन
4. नालियों सहित ग्रामीण गलियों तक पहुंच
5. गांव में स्ट्रीट लाइट और विद्युतीकरण
6. गावों के बीच ग्रामीण सड़क संपर्कता
7. सार्वजनिक परिवहन
8. एलपीजी गैस कनेक्शन
9. आर्थिक गतिविधियों से संबद्ध कौशल विकास प्रशिक्षण
10. कृषि सेवाएं और प्रसंस्करण तथा संबद्ध कार्यकलाप
11. शिक्षा
12. स्वास्थ्य
13. डिजिटल साक्षरता
14. नागरिक सेवा केंद्र
15. पर्यावरण
16. रोजगार सृजन और एसएचजी गठन
17. पर्यटन संवर्धन
18. खेल बुनियादी संरचना
19. सामाजिक बुनियादी संरचना

20. ग्रामीण आवास
21. सामाजिक कल्याण

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान एस.पी.एम.आर.एम. के अंतर्गत हासिल की गई वास्तविक और वित्तीय प्रगति इस प्रकार है :

वास्तविक प्रगति (समग्र):

	वि.व. 2020-21	वि.व. 2021-22	वि.व. 2022-23 (दिनांक 02 फरवरी, 2023 की स्थिति के अनुसार)
पूर्ण किए गए कार्य	16040	18311	4710

वित्तीय प्रगति (समग्र):

(रु. करोड़ में)

	वि.व. 2020-21	वि.व. 2021-22	वि.व. 2022-23 (दिनांक 02 फरवरी, 2023 की स्थिति के अनुसार)
सी.जी.एफ. व्यय	605.21	739.45	653.91
अभिसरण व्यय	2809.17	2961.29	779.75
कुल व्यय	3414.38	3700.74	1,433.66

****